

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज0)

Email - ccfwl.udpr.forest@rajasthan.gov.in , Ph. 0294-2414374, 2414292

क्रमांक:- एफ 9(373) तकनिकी / मुवसं/ व.जी. / 2022-23/

4863

दिनांक

21/12/23

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी (F.C.A)
राजस्थान, जयपुर।

विषय: Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER TO NEW PIPELINE OF 900 MM DIA FROM JAISAMAND LAKE TO UDAIPUR के एफ.सी.ए. प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 5670-71 दिनांक 18.04.2023 एवं कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर का पत्र क्रमांक 11256 दिनांक 19.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एफ.सी.ए. क्लियरेंस का प्रस्ताव Proposal no. : FP/RJ/WATER/151001/2022, Name of Project : AUGMENTATION OF PRODUCTION FROM JAISAMAND LAKE, FOR UWSS UDAIPUR INCLUDING UPGRADATION OF THE EXISTING PIPELINE OF 600 MM DIAMETER के संबंध में उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर के द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। इस कार्यालय स्तर से भी आक्षेपों का निस्तारण कर बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है प्रस्तुत है -

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेपों की पूर्ति
1	यूजर एजेन्सी द्वारा के.एम.एल.में वन/अभयारण्य सीमा एवं मंडलवार अपलोड नहीं की गयी है। उदयपुर वन्यजीव जिरामें तीन पेच बनाये गये है, उनका क्षेत्रफल 0.8577 हेक्टेयर एवं हाईटेशन लाईन 0.5912 जो कि आवेदित क्षेत्रफल 0.8586 हेक्टेयर से कम है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधित कर अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न DGPS map में कानर्स पॉइंट के कोर्डिनेट्स एवं चैनऐज अंकित नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा नक्शा अपलोड कर दिया गया है।
3	यूजर एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है।	यूजर एजेन्सी ने अवगत कराया गया कि 600 एमएम पाईपलाइन पूर्व में दिखायी गयी है उक्त लाईन पर ही 900 एमएम पाईपलाइन दिखायी जायेगी इस कारण से वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया गया है।
4	प्रस्ताव में झील से पानी लिया जा रहा है एवं अभयारण्य क्षेत्र में जी0एस0एस0 एवं अन्य कार्य भी किये जाने है ऐसी स्थिति में यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीव क्षेत्र में अभी आवेदन भी नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा वाइल्ड लाईफ क्लियरेंस हेतु आवेदन किया जा चुका है।

Signature valid

RajKaj Ref
5211662



202

Digitally signed by Rajkumar Jain
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.21 09:31:38 IST
Reason: Approved

5	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम मामादेय तहसील कुरावड़ में 1.9637 है० एवं विकास नगर तहसील खेरवाड़ा में 0.15 है० भूमि आवंटित की गयी है उक्त भूमि को एक स्थान पर नहीं लिये जाने के कारण स्पष्ट किया जावे।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण हेतु पूर्ण भूमि कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर को प्राप्त हुई है। प्रत्युत्तर उनसे अपेक्षित है।
6	प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न नहीं है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संलग्न कर दी गई है।
7	पाइप लाईन कितने मो०मी० की पानी की पाइप लाईन डाली जानी है स्पष्ट नहीं है एवं इसके क्रॉस सेक्शन संलग्न ही है।	900 एमएम पाइपलाइन विछायी जायेगी
8	प्रस्ताव में संलग्न दस्तावेजों अनुसार 33 kv Transmission Line डाली जानी प्रस्तावित है इस हेतु ROW 7 मीटर लिया गया है जबकि 15 मीटर लिया जाना चाहिए।	यूजर एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में संशोधन कर 33 केवी लाईन को भूमिगत विछायी जाना प्रस्तावित किया गया है। एवं इसे XLPE cable with pipeline के रूप में दर्शाया गया है। (पेज-43)
9	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को प्रति संलग्न नहीं की गयी है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संलग्न कर दी गई है।
10	एरिया कैलकुलेशन शीट में अभयारण्य क्षेत्र में वन/गेर वन भूमि का विवरण स्पष्ट नहीं किया गया है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर दिया गया है।
11	बार चार्ट में वेनएज अंकित नहीं किये गये हैं।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर संलग्न कर दी गई है।
12	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में प्राप्त भूमि के DGPS map में वन सीमा इत्यादि का विवरण नहीं है। उक्त भूमि वन सीमा से काफी दूर है।	यूजर एजेन्सी के द्वारा संशोधन कर संलग्न कर दी गई है।
13	DCF WL Udaipur द्वारा कोई वृक्ष प्रस्तावित क्षेत्र में आना नहीं दर्शाया गया है। जबकि संलग्न डिजीटल गनफ्लिन में वृक्ष का आना दिख रहा है। इसमें कितने वृक्षों का पालन किया जायेगा एवं कितने वृक्ष छांटाई किये जायेंगे, स्पष्ट किया जाना है।	वन्यजीव उदयपुर मण्डल के सत्राधिकार में इस प्रोजेक्ट में 10 वृक्षों का पालन प्रस्तावित है। सूची अपलोड व संलग्न कर दी गई है।
14	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II के विन्दू संख्या 5 में प्रस्तावित क्षेत्र के वन्यजीव प्रबंधन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के बफर एवं इको सेन्सिटिव क्षेत्र में आना दर्शाया गया है जबकि उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य के अंदर स्थित है।	उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अभयारण्य की सीमा में स्थित होने के साथ-साथ जयसगन्द वन्यजीव अभयारण्य के इको सेन्सिटिव जोन की सीमा में भी स्थित होने के कारण दर्शाया गया है।
15	DCF WL Udaipur द्वारा पार्ट II में एन०पी०वी० गणना, प्रभावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति आदि संलग्न नहीं की गयी हैं।	गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न कर दी गयी है। NPV गणना प्रपत्र अपलोड कर दिया गया है।
16	CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में 2,1125 है० वन भूमि की अनुशंघा की गयी है। जबकि उनका प्रभावित वन क्षेत्र 1,2551 है० है।	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर, द्वारा 0.5342 ha. वन भूमि का अनारक्षण का प्रस्ताव अंग्रेषित किया है। तदनुसार पार्ट-3 में संशोधन कर दिया गया है।
17	CCF WL Udaipur द्वारा पार्ट III में कितनी वनभूमि हेतु प्रस्ताव अंग्रेषित किया गया है अंकित नहीं है।	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर, द्वारा 0.5342 ha. वन भूमि का अनारक्षण का प्रस्ताव अंग्रेषित किया है। तदनुसार पार्ट-3 में संशोधन कर दिया गया है।

प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न : 2 प्रस्ताव की प्रतियां

भवदीय
(आर.के.जैन)
मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, उदयपुर

कमांक:- एफ 9.(373)तकनीकी/मुवसं/व.जी./2022-23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन्यजीव उदयपुर।

4864-65 दिनांक 21/12/23

Signature valid

RajKaj Ref
5211662

Digitally signed by Rajkumar Jain
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.21 09:31:38 IST
Reason: Approved

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज0)

Email - ccfwl.udpr.forest@rajasthan.gov.in , Ph. 0294-2414374, 2414292

PART-III

(FP/RJ/WATER/151001/2022)

(to be filled by the concerned Chief Conservator of Forests of Forest)

14.	Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Chief Conservator of Forest.(Yes/No) if yes the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.	Inspection is not mandatory.
15.	Whether the concerned Chief Conservator of Forests agrees with the information given in Part-A and Part-B the recommendations of Deputy Conservator of Forests	Agreed with the information given in Part A & recommendations of DCF WL Udaipur In Part B
16.	Specific recommendation of concerned Chief Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.	Proposal for diversion of 0.5342 ha. may be accepted in larger public Interest. This will not cause any adverse effect to the flora and fauna of the area. Hence proposal is Recommended in Public Interest.

Dated : 18.12-2023

Place : Udaipur

(R. K. JAIN)

Chief Conservator of Forests,
Wildlife, Udaipur